न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः GCMS No.-2024/545

अपीलार्थी / प्रार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी / अप्रार्थी**
1– अमरचंद पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण उम्र–61 वर्ष, निवासी सुल्तान महाराज की ढाणी, ग्राम भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर (मैसर्स अमरचंद उचित मूल्य दुकानदार, भाखरी तहसील, ओसियां, जोधपुर		1–जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2024 जो जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08 / 2022 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी उपस्थित।
2–प्रत्यर्थी उपस्थित।

आदेश

अपील में अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान मैसर्स अमरचंद उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां, जोधपुर जिसके एफपीएस कोड 10476 है जो दिनांक 24.01.1995 से लगातार 24.08.2022 तक निरन्तर बिना किसी आरोप व शिकायत के नियमानुसार राशन वितरण करता रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से जांच प्रतिवेदन व नोटिस अनुचित प्रभाव बनाकर अपना टारर्गेट करने की दुर्भावना से तयौर किया गया है, अपीलान्ट / आरोपी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के संचालन में कोई अनियमितता नही की गई तथा अपीलांट को जांच अधिकारी ने सुनवाई को कोई अवसर नही दिया गया तथा अपीलांट द्वारा जांच अधिकारी को अपनी ओर से जो तथ्य दुकान के संचालन व वस्तुओं के स्टॉक के बारे में बताये गये वे तथ्य व सूचनाएं जांच अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन व नोटिस में जानबूझकर दर्ज नही कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2024 के द्वारा प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज **GCMS No.-2024/545** कर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर) को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 को प्राप्त हुई।

अपीलार्थी की ओर से अपनी अपील एवं बहस में बतलाया कि अमरचंद पुत्र मुलचंद जाति–ब्राह्मण, उम्र 61 साल, निवासी सुल्तान महाराज की ढाणी, ग्राम भाखरी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर राशन डीलर मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर का डीलर है जो अधिकर पत्र संख्या एफ 33 (3) तहसील औसियां 95–96/50/115 दिनांक 24.01.1995 द्वारा ग्राम भाखरी में उचित मूल्य की दुकान का राशन डीलर है जिसके एफपीएस कोड 10475 है जो दिनांक 24.01.1995 से लगातार 24.08.2022 तक निरन्तर बिनां किसी आरोप व शिकायत के नियमानुसार राशन वितरण करता रहा है। अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान हेतु नियुक्त जांचकर्ता भंवरा राम चौधरी प्रवर्तक निरीक्षक औसियां द्वारा दिनांक 12.08.2024 को अपीलांट द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर का मौके पर पहुंच कर जांच करना बताया तथा जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान मे अनियमितताए बताई गई है कि वक्त निरीक्षण दुकान की पॉस मशीन में गेहू व मौका निरीक्षण में कुल 489 क्विंटल 19 किलो 210 ग्राम गेंहू व 80.35 किलोग्राम चीनी का स्टोक कम पाया गया। वर्णित जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2022 को अपीलांट की दुकान के बारे में पाई गई अनियमितताए के बारे मे जांच रिर्पोट जिला रसद अधिकारी को भेजी गई जिसका अपीलांट को दिनांक 24.08.2022 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया तथा उसी रोज जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान का अधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दिया जिस पर अपीलांट ने प्रेषित नोटिस दिनांक 24.08.2022 का लिखित जवाब 07.09.2022 को प्रेषित किया। आगे बतलाया गया कि लिखित जवाब कहा गया कि प्रार्थी के नाम की उचित मूल्य की दुकान जो कि मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकानदार भाखरी, जिसका प्रार्थी के पक्ष में अधिकार संख्या एफ 33 (3) तहसील ओसियां 95–96/50/115 दिनांक 24.01.1996 द्वारा गांव भाखरी में उचित मूल्य की दुकान का जारी किया गया था। ग्रामवासीयो को सन् 1996 से संतोषप्रद सेवायें प्रदान की जा रही हैं तथा आज दिनांक तक कोई भी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी है। दिनांक 30.08.2018 कोएक आदेश जारी करते हुए जीएसएस सामराउ तहसील ओसियां (पॉस कोड 10557) की उचित मूल्य की दुकान को अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रार्थी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

गयीं, आदेश की पालना में जीएसएस सामराउ की उचित मूल्य की दुकान का अतिरिक्त प्रभार लिया गया तथा पूरी लगन और ईमानदारी से जीएसएस सामराउ (पॉस कोड 10557) का अतिरिक्त प्रभार उत्तरदाता से लेकर मैसर्स राजुराम ढुण्ढों की ढाणी (पॉस कोड 10559) को दिया गया उस दिनांक तक का भौतिक सत्यापन मेरे से प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 को एक नोटिस जारी कर मौका निरीक्षण में 489 क्विटल 19 किलो 210 ग्राम गेंहू व 80.35 किलो चीनी कम पाई जाना दर्शाया गया है तथा 15 दिवस का नोटिस देकर उक्त कमी/अनियमिता का स्पष्टीकरण मांगा गया हैं जबकि उक्त पॉस मशीन 10557 जो कि जीएसएस सामराउ से सम्बधित हैं को फरवरी 2022 में ही आदेश दिनांक 11.02.2022 की पालना में मैसर्स राजुराम ढुंढो की ढाणी (पॉस कोड 10559) को सुपुर्द की जा चुकी है। अतः उक्त अनियमितता मेरे द्वारा की गयी हो, यह नही माना जा सकता है। दिनांक 24.08.2022 को ही आदेश जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकान भाखरी पॉस कोड 10475 का लाईसेन्स निलम्बित करते हुए अतिरिक्त प्रभार सवाईसिंह भाखरी (पॉस कोड 23276) को दिया गया है जो कि कत्तई उचित नहीं कहा जा सकता क्योकि उचित मूल्य की दुकान (पॉस कोड 10475) के स्टॉक में कोई अनियमितता नही पायी गयी है, बल्कि उक्त वर्णित अनियमितता उचित मूल्य की दुकान सामराउ से सम्बंधित हैं तथा जीएसएस सामराउ (पॉस कोड 10557) का प्रभार फरवरी 2022 में ही अन्य व्यक्ति को सौंपा चुका हूं। पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी कर 15 दिवस में जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा दूसरी तरफ उसी दिन एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उचित मूल्य की दुकान भाखरी (पोस कोड 10475) को निलम्बित कर दिया गया हैं उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर मुझ उत्तरदाता को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो कि सर्वथा अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। बहस में बतलाया गया कि खाद्य विभाग जोधपुर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी श्री भंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक ओसियां ने दिनांक 12.08.2022 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां जोधपुर की जांच कर प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 24.08.2022 को अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से जांच प्रतिवेदन व नोटिस अनुचित प्रभाव बनाकर अपना टार्गेट पूरा करने की दुर्भावना से तैयार किया गया है। अपीलान्ट/आरोपी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के संचालन में कोई अनियमितता नहीं की गई तथा अपीलान्ट को जांच अधिकारी ने सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्ट द्वारा जांच अधिकारी को अपनी ओर से जो तथ्य दुकान के संचालन व वस्तुओं के स्टॉक के बारे में बताये गये वे तथ्य व सूचनाये जांच अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन व नोटिस में जानबूझकर दर्ज नहीं किये गये। जांच अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट दिनांक 12.08.2022 व अपीलान्ट को प्रेषित नोटिस दिनांक 24.08.2022 गलत, विधि विरूद्ध तथा न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर के द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

दिनांक 24.08.2022 के आदेश के जरिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र मैसर्स अमरचंद उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को दिनांक 24.08.2022 को गलत एवं बेबुनियादी आधारों पर तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक निलम्बित कर दिया तथा दिनांक 05.06.2024 को अपीलान्ट के पक्ष में वर्णित प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ व विधि विरूद्ध है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अपीलान्ट के जवाब में आये तथ्यों एवं मामलों की परिस्थितियों को कानून एवं न्याय की दृष्टि के बिना जो आदेश दिनांक 05.06.2024 को पारित किया वह कानूनन काबिल खारिज है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक ओसियां द्वारा जांच करने के बाद जो प्रतिवेदन/जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को दिये जाने के बाद जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 24.08.2024 आदेश के जरिये अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकान भाखरी तहसील ओसियां जोधपुर का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया तथा उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री की वैकल्पिक व्यवस्था उचित मूल्य दुकानदार सवाईसिंह भाखरी (एफपीएस कोड–23276) को दी गई। उसके तुरन्त बाद रसद अधिकारी के आदेश की पालना में अपनी राशन की सामग्री जो स्टॉक में थी गेंहू तथा चीनी उचित मूल्य दुकानदार सवाईसिंह भाखरी (एफपीएस कोड–23276) को वर्णित सामग्री को तौलकर सुपुर्द कर दी गई जो सामग्री उचित मूल्य दुकान सवाईसिंह भाखरी (एफपीएस कोड–23276) द्वारा सुपुर्दगी के माह से ही वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार संबंधित उपभोक्ताओं को पॉस मशीन के द्वारा की गई। उक्त तथ्यों की जानकारी जिला रसद अधिकारी को अपीलान्ट द्वारा जवाब के जरिये दे दी गई थी। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकानदार भाखरी तहसील ओसियां का राशन डीलर 24.01.1996 से लगातार दिनांक 24.08.2022 तक चलता आ रहा है। विगत अवधि में राशन वितरण के बारे में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई तथा न ही कोई शिकायत उपभोक्ता की तरफ से हुई है। अपीलान्ट को दुर्भावना से स्थानीय राजनैतिक दबाव से झूठा फंसाया गया है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण करने का संकट पैदा हो गया है अपीलान्ट सदमें के कारण बीमार हो गया है जिसे अपीलान्ट के परिवार को भारी मानसिक एवं आर्थिक परेशानिया झेलनी पड रही है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 24.08.2022 का अपीलांट द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जवाब प्रेषित किया गया उक्त के पश्चात अपीलांट कही बार जिला रसद कार्यालय का चक्कर निकालता रहा तथा अपने प्रकरण के बारे में पूछता रहा तो विभाग द्वारा बताया गया कि जब भी आपके प्रकरण में कोई निर्णय व आदेश होगा तो आपको बता दिया जायेगा जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर के आदेश दिनांक 06.05.2024 की जानकारी प्रथम बार तब हुई जब अपीलांट ने अपने प्रकरण के बारे में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आकर दिनांक 15.10.2024 को पता किया तो उन्होने बताया कि आपके प्रकरण में

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

आदेश हो चुका है, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 15.10.2024 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया। बहस के अंत में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करने, जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.06.2024 प्रकरण संख्या 08/2022 को निरस्त किया जाने, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या एफ 33 (3) तहसील ओसियां 95–96/50/115 दिनांक 24.01.1996 को पुनः बहाल किया जाने, प्रतिभूति की राशि जब्ती का आदेश भी निरस्त किया जाने व उचित मूल्य की दुकान मैसर्स अमरचन्द उचित मूल्य दुकान भाखरी तहसील ओसियां जोधपुर का पुनः संचालन अपीलांट को करने की स्वीकृति प्रदान करने का आदेश करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर) ने जवाब/रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 में अपील का बिन्दुवार जवाब/रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि अपील के बिन्दु संख्या 1 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है प्रकरण में पारित आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार एवं विधि सम्मत है, अपील के बिन्दु संख्या 2 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। प्रकरण में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, अप्रार्थी के जवाब एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक प्रक्रिया अनुसार पूर्ण विश्लेषण उपरांत निर्णय आदेश पारित किया गया है। अपील के बिन्दु संख्या 3 उप बिन्दु क, ख में प्रकरण में की गई कार्यवाही के तथ्य है। उपबिन्दु ग में प्रस्तुत तथ्य कि दिनांक 24.08.2022 को ही अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। यह तथ्य पूर्णतया गलत है अप्रार्थी को जारी प्राधिकार अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया था तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी कर की गई अनियमितताओं के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उपबिन्दु 4 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है कार्यालय आदेश दिनांक 11.02.2022 के द्वारा अप्रार्थी से उचित मूल्य दुकान जीएसएस सामराउ पॉस कोड 10557 का अतिरिक्त प्रभार राजुराम ढंढों की ढाणी को दिया गया परन्तु अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार अमरचंद भाखरी द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए दुकान का चार्ज संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द नहीं किया गया। जिस संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक औसिंया द्वारा दिनांक 07.04.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अमरचंद द्वारा अतिरिक्त प्रभार की दुकान का चार्ज सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट में अप्रार्थी को नोटिस जारी कर चार्ज हस्तांतरण हेतु पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। उपबिन्दु 5 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। प्रवर्तन निरीक्षक औसिंया द्वारा दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट (संलग्न) अनुसार अप्रार्थी उ.मू.दु. अमरचंद द्वारा आदेश के 2 माह बाद दिनांक 08.04.2022 को अस्थाई उचित मूल्य दुकान जीएसएस सामराउ का चार्ज राजूराम ढूंढों की ढाणी को सुपुर्द किया परन्तु चार्ज हस्तांतरण पत्र में अप्रैल माह हेतु आवंटित गेहूं के 16 कट्टे ही चार्ज में दिये गये इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की रसद सामग्री का हस्तांतरण नहीं किया गया। उपबिन्दु 6 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। प्रवर्तन निरीक्षक औसिंया की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 अनुसार अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक हस्तातंतरण पत्र में अस्थाई जीएसएस सामराउ की

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

पॉस मशीन व 16 कट्टे गेहूं अप्रैल 2022 में राजूराम ढूंढों की ढाणी को दिए गए तथा बकाया रसद सामग्री बाद में दिया जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 तक किसी भी प्रकार की स्टॉक सामग्री सुपुर्द नहीं किया जाना स्पष्ट है। उपविन्दु 7 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी की स्वयं की दुकान के निलम्बन उपरांत स्टॉक हस्तांतरण पत्र में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार लेने वाले सवाई सिंह को अप्रार्थी द्वारा पॉस में दर्ज स्टॉक से 44.86 क्वि. गेहूं 69 किग्रा. चीनी कम सुपुर्द की गई। अप्रार्थी द्वारा स्टॉक हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। स्टॉक हस्तांतरण पत्र में 4 गवाहों के हस्ताक्षर एवं अतिरिक्त प्रभार लेने वाले उ. मू. दु. सवाईसिंह के हस्ताक्षर पाए गए है। जिससे अप्रार्थी उ. मू. दु. द्वारा स्वयं की दुकान के स्टॉक में कमी नहीं होने का तथ्य पूर्णतया गलत है। उपबिन्दु 8 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार की स्वयं की दुकान एवं अतिरिक्त प्रभार जीएसएस सामराउ के निरीक्षण में गेहूं स्टॉक में कमी पाए जाने से प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। प्राधिकार निलम्बन के संबंध में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (1) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप अप्रार्थी द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने से जांच विचाराधीन रखते हुए प्राधिकार निलम्बन किया गया है परन्तु प्राधिकार निरस्त के पूर्व उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। उपबिन्दु 9 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। प्रवर्तन निरीक्षक औसिंया की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 अनुसार अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक हस्तातंतरण पत्र में अस्थाई जीएसएस सामराउ की पॉस मशीन व 16 कट्टे गेहूं अप्रैल 2022 में राजूराम ढूंढों की ढाणी को दिए गए तथा बकाया रसद सामग्री बाद में दिया जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 तक किसी भी प्रकार की स्टॉक सामग्री सुपुर्द नहीं किया जाना स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा बकाया गेहूं 4 माह बाद भी सुपुर्द नहीं किये जाने तथा गेहूं के दुरूपयोग संबंधी अनियमितता के आधार पर ही उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बन किये जाने की कार्यवाही की गई है। अपील के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्वयं की दुकान एवं अतिरिक्त प्रभार जीएसएस सामराउ के संचालन में गंभीर अनियमितताएं किये जाने से प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर विधि अनुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर कार्यवाही की गई है। अपील के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध जांच में दोष सिद्ध होने के उपरांत ही विधि अनुसार प्राधिकार निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अपील के बिन्दु संख्या 6 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं की दुकान के निलंबन उपरांत स्टॉक हस्तांतरण के वक्त 44.86 क्विं. गेहूं एवं 69 किग्रा. चीनी कम सुपुर्द किया जाना स्पष्ट है। अपील के बिन्दु संख्या 7 एवं 8 में प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार्य है। अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही उनके द्वारा की गई अनियमितताओं एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप की गई है। वक्त बहस जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर ने ईपीडीएस की दिनांक 20.04.2022 की ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा दिनांक 08.04.2022 से 20.04.2022 तक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसे सामिल पत्रावली कियां गया। बहस के अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब तथा दिनांक 20.04.2022 की ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट से तथा दिनांक 08.04.2022 से दिनांक 20.04.2022 तक की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में पॉस मशीन संख्या 10557 जीएसएस सामराउ का कोई ट्रांजेक्शन नही पाया गया जिससे लगभग 589 क्विंटल के गेहूं का गबन स्पष्ट होता है। उक्त विवचेनानुसार अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया अतः अपील खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)